न्यायालयः दशम् जिला न्यायाधीश, ग्वालियर (म0प्र0)
(पीठासीनः अशरफ अली)

रजिस्ट्रेशन नं0– एम.जे.सी. 701/2022
फाइलिंग नं0– 19329/2022
सी.एन.आर. नं0–एम.पी.
0701–025033–2022
फाइलिंग दिनांक 28.09.2022

01. केदार सिंह पुत्र श्री काशीराम, आयु–81 वर्ष,
व्यवसाय–कृषि कार्य, निवासी–नीम चंदोहा,
तहसील व जिला ग्वालियर, म.प्र. ----------------- **आवेदिक/वादी**

वि रू द्ध

01. मध्य प्रदेश शासना द्वारा कलेक्टर,
ग्वालियर, कार्यालय न्यू कलेक्ट्रेट भवन
सिरोल रोड जिला ग्वालियर, म.प्र.
02. यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा सचिव गृह
मंत्रालय नई दिल्ली
03. उप महानिरीक्षक, सेंट्रल रिजर्व पुलिस,
शिवपुरी, म.प्र.

..............अनावेदकगण/प्रतिवादीगण

——————————————————————————————————

//आदेश//
(दिनांक 11.01.2025 को पारित)

01. इस आदेश के द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन आदेश 09 नियम 9 सीपीसी का निकारण किया जा रहा है।

02. संक्षेप में आवेदन इस प्रकार है कि आवेदक ने अनावेदकगण

के विरूद्ध व्यवहार वाद वास्ते घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया था, जो विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक के हित में दिनांक 22.04.2003 को निर्णीत करते हुए वादी का वाद डिक्री किया था। उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अनावेदक क्रमांक 01 म.प्र. शासन द्वारा आवेदक के विरूद्ध प्रथम अपील क्रमांक 20ए/2006 अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जो कि अपील न्यायालय द्वारा आवेदक को बिना सुना धारा 5 अवधि विधान स्वीकार करते हुए डिक्री दिनांक 22.04.2003 को निरस्त कर दिया। उक्त अपील में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 21 सीपीसी प्रस्तुत किया गया, जो कि दिनांक 17.02.2020 को आवेदक साक्ष्य के प्रक्रम पर नियत था, किंतु उक्त दिनांक को आवेदक का स्वास्थ्य खराब होने से आवेदक साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका और न्यायालय द्वारा आवेदक की उपस्थिति एवं साक्ष्य के अभाव में आवेदक का आवेदन अंतर्गत आदेश 41 नियम 21 सीपीसी निरस्त किया गया।

03. आगे आवेदन में यह भी लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा आदेश 41 नियम 21 सीपीसी का आवेदन पेश करते समय आवेदक की उम्र 74 वर्ष तथा साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित न होने के समय आवेदक की उम्र 80 वर्ष थी तथा उक्त दिनांक को कोरोना महामारी फैलने से आवेदक का स्वास्थ्य खराब था। आवेदक द्वारा साक्ष्य हेतु पूर्व में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया था। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आवेदक साक्ष्य हेतु समय प्रदाय किए जाने बावत् आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 17 नियम 1 सीपीसी भी प्रस्तुत किया गया था। आवेदक की अनुपस्थिति सद्भाविक है जिससे क्षमा कर मूल एमजेसी प्रकरण क्रमांक 109/2015 पुनः नंबर पर लिये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

04. अनावेदकगण की ओर से उक्त आवेदन का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक आपत्ति व्यक्त करते हुए उपरोक्त आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।

05. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न है किः–

01. क्या नियत दिनांक 17.02.2020 को आवेदक/वादी के पास एमेजेसी प्रकरण क्रमांक 109/2015 में अनुपस्थित रहने का कोई सदभावी कारण था ?

02. क्या वादी/आवेदक के प्रकरण को उसी नंबर पर पुर्नस्थापित किया जाना उचित है ?

//सकारण निष्कर्ष//

06. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में आवेदक केदार सिंह (अ. सा. 01) ने कहा है कि उसकी ग्राम नीम चंदोहा तहसील व जिला ग्वालियर में पुस्तैनी भूमि है जिस पर खेती करता चला रहा है और उसके संबंध में दीवानी प्रकरण प्रस्तुत किया था, जिसमें उसके पक्ष में फैसला हुआ था और इस प्रकरण में अपील में नियत दिनांक को बीमार पड गया था जिससे वह उपस्थित नहीं हो पाया था इस कारण से उसका आवेदन निरस्त कर दिया गया था और उसके द्वारा बीमारी के पर्चे की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसके द्वारा इलाज का मूल पर्चा प्रुस्तत नहीं किया है।

07. अनावेदकगण की ओर से तर्क किया गया है कि आदेश 9 नियम 9 सीपीसी के अंतर्गत अदम पैरवी में निरस्त किए गए दावे को पुनः नंबर पर लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, जबकि आवेदक/वादी की ओर से आवेदन अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी अपील को पुनः नंबर पर लेने बाबत् आदेश 41 नियम 21 के अंतर्गत प्रस्तुत विविध प्रकरण के निरस्त करने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है जिससे आवेदक का आवेदन निरस्त किए जाने योग्य है। इसके विपरीत आवेदक/वादी की ओर से तर्क किया गया है कि गलत प्रावधान के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने मात्र से आवेदन निरस्त नहीं किया जा सकता।

08. उभयपक्ष के उक्त तर्क के संबंध में न्यायदृष्टांत पी.के. प्लानीसामी बनाम् अरूमूघम व अन्य 2009 एससीसी आनलाइन एससी 1343 अवलोकनीय है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि गलत प्रावधान के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किए जाने मात्र से आवेदन निरस्त नहीं किया जा सकता।

09. इस प्रकार उपरोक्त पी.के. प्लानीसामी न्यायदृष्टांत के आलोक में आवेदक/वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन केवल गलत प्रावधान के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने मात्र से निरस्त नहीं किया जा सकता।

10. अनावेदकगण की ओर से तर्क किया गया है कि

आवेदक/वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 41 नियम 21 सीपीसी दिनांक 17.02.2020 को निरस्त किया गया है और उक्त दिनांक की अनुपस्थिति के संबंध में आवेदक/वादी की ओर से कोई पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया गया है। इसके विपरीत आवेदक/वादी की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक/वादी 80 वर्षीय बूढा व्यक्ति है और वह बीमार होने के कारण उपस्थित नहीं हो सका था, जिससे उसके पास उक्त दिनांक को उपस्थित नहीं होने का पर्याप्त कारण है।

11. उभयपक्ष के उक्त तर्क के आलोक में विचार करें तो आदेश 9 नियम 9 में वादी के अनुपस्थित होने के कारण निरस्त हुए दावे को पुनः नंबर पर लिये जाने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, किंतु धारा 151 के अंतर्गत न्यायालय अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए ऐसा आदेश दे सकता है जो न्याय के लिए उचित हो। अनुपस्थिति में निरस्त किए गए दावे एवं अपील को पुनः नंबर पर लेने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, जिससे विविध प्रकरण भी पुनः नंबर पर लिये जा सकते हैं और उन्हें नंबर पर लेने हेतु न्यायालय धारा 151 की अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग कर सकता है। अब देखना यह है कि क्या नियत दिनांक को वादी/आवेदक के पास अनुपस्थित होने का पर्याप्त कारण था।

12. आवेदक/वादी के आवेदन एवं आवेदक केदारनाथ (अ.सा. 01) के कथनों से दर्शित होता है कि अपील में पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को निरस्त करने बाबत् विविध प्रकरण क्रमांक 109/2015 अंतर्गत आदेश 41 नियम 21 सीपीसी प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 17.02.2020 को उसकी अनुपस्थिति के कारण निरस्त हो गया था। आावेदक/वादी की ओर से अनुपस्थिति का यह कारण दर्शित किया गया है कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। यद्यपि आवेदक की ओर से इलाज के छायाप्रति पर्चे प्रस्तुत किए गए है जो दिनांक 12.10.2020 एवं 20.02.2020 के हैं और उनके अनुसार आवेदक को फीवर था, किंतु उसमें फीवर कितना था यह अंकित नहीं है जिससे उक्त पर्चे विश्वसीय प्रतीत नहीं होते, इसके अतिरिक्त वादी की ओर से प्रस्तुत विविध प्रकरण दिनांक 17.02.2020 को निरस्त किया गया था। उक्त दिनांक के संबंध में कोई पर्चा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार दिनांक 17.02.2020 को आवेदक के तबीयत खराब होने का समर्थन दस्तावेजों से नहीं होता है। इस प्रकार दिनांक 17.02.2020 को आवेदक साक्षी की अनुपस्थित होने का कोई पर्याप्त कारण दर्शित नहीं होता

है।

13. इसके अतिरिक्त मूल विविध प्रकरण क्रमांक 109/2015 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आवेदक/वादी को साक्ष्य हेतु दिनांक 03.08.2018 से 17.02.2020 तक लगातार मौके दिए गए हैं और कई बार अंतिम अवसर भी दिया गया है और उसके पश्चात् दिनांक 17.02.2020 को साक्ष्य का अवसर समाप्त कर प्रकरण निरस्त किया गया है।

14. इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से यह दर्शित होता है कि आवेदक/वादी को पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात् साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है और उक्त दिनांक को आवेदक साक्षी की अनुपस्थिति के संबंध में आवेदक की ओर से कोई पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया गया है।

15. फलतः उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में आवेदक की ओर से विविध प्रकरण को पुनः नंबर पर लेने बाबत् प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

16. प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार में संचित किया जावे।

आज दिनांक को घोषित
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया
गया।

सही/
(अशरफ अली)
दशम जिला न्यायाधीश
ग्वालियर (म0प्र0)

मेरे निर्देशन पर टंकित किया
गया।

सही/
(अशरफ अली)
दशम जिला न्यायाधीश
ग्वालियर (म0प्र0)

ASHRAF ALI

Digitally signed by ASHRAF ALI
Date: 2025.01.11 15:26:18 +0530